51/2010

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/10/22 वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 03 के वकील उप.। शेष प्रतिवादी अनु.। प्रार्थना-पत्र बाबत आदेश 22 नियम 9 cpc, आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 CPC पर बहस सुनी गई। वकील वादीगण की बहस है, कि वादी संख्या 01 का दिनांक 18.12.2016 को देहांत हो गया था और उनके वारिसान को रेकर्ड पर लिया जाना आवश्यक है और उपरोक्त शीघ्र व न्यायहित में भी आ चुका है। इसी दौरान वादी संख्या 1/4 का भी देहांत हो गया है। वादीगण गांव के अनपढ़ व्यक्ति होने के कारण कोताही रचना समय पर नहीं दे पाने से, इस कारण प्रार्थना-पत्र को पेश करने में देरी हुई है। वादीगण के विवादित भूमि में हक-हकूक निहित होने के कारण सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित है। देरी की अवधि को कण्डोन करने के लिए वादीगण की ओर से प्रार्थना-पत्र पेश कर रखा है। अतः प्रार्थना-पत्र न्यायहित में प्रार्थना-पत्र स्वीकार की जाकर संशोधन प्रार्थना-पत्र मंजूर कर वादी संख्या 01 व वादी संख्या 01/4 के वारिसान को रेकर्ड पर लिया जावे। इसके विपरीत वकील प्रतिवादी की बहस है कि प्रार्थना-पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है, क्योंकि वादी संख्या 01 का देहांत दिनांक 18.12.2016 व वादी संख्या 04 का भी देहांत 2 वर्ष से अधिक समय पहले हो चुका है लेकिन उन द्वारा	

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वादी संख्या 2 की फौतगी रजना नहीं की गई। वादी संख्या 1/4 का भी देहान्त हुए लम्बा समय व्यतीत हुआ है वादी पक्ष द्वारा समय अवधि के अन्दर प्रार्थना-पत्र पेश नहीं किए जाने के कारण वादीगण का वाद अबेट होने के कारण खारिज करमाया जावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गम्भीरता-पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पाया कि वकील वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर वादी संख्या 01 की फौतगी दिनांक 18.12.2016 व वादी संख्या 01/4 दिनांक 10.11.2021 का होना अंकित किया है और साथ प्रार्थना-पत्र सलंग्न करने में हुई देरी को उजावती करने के लिए धारा 5 लीमिटेशन म्याद अधिनियम के तहत पेश की गई। और वादी वकील बलाव ने स्वीकार किया है, कि वादी संख्या 01 की फौतगी वर्ष 2016 व वादी संख्या 1/4 की फौतगी 10.11.2021 को हो गई थी, जब वादी पक्ष को ज्ञात हो गया था, तो वकील वादीगण का उत्तरदायित्व बनता था, कि कानूनन प्रार्थना-पत्र अन्दर म्याद पेश करते लेकिन 03 माह की अवधि के स्थान पर लगभग वादी संख्या 01 की फौतगी रजना 05 वर्ष पश्चात व वादी संख्या 01/4 की फौतगी रजना लगभग 09 माह बाद पेश की गई। जो कि अपने-

सहायक कलेक्टर

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

14.

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अपील वाद म्याद की मियाद में है। वकील प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस में यह भी जाहिर किया कि प्रतिवादी संख्या 2 का भी देहांत हो चुका है, लेकिन वकील वादीगण की ओर से इन्द्राज म्याद कोताही बाबत प्रार्थना-पत्र पेश नहीं किया है। यह अपने-आप में वकील वादीगण की ओर से प्रस्तुत वकालतनामा के अवलोकन से स्पष्ट है, क्योंकि वकालतनामा में प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान के नाम मय हस्ताक्षर किए हुए हैं। इससे स्पष्ट है, कि वादी संख्या 2 का भी देहांत हो चुका है। लेकिन वकील वादीगण की ओर से इन्द्राज म्याद प्रार्थना-पत्र पेश नहीं किया है। वकील वादीगण की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद के प्रार्थना-पत्र में भी ऐसा कोई कारण उल्लेख नहीं किया है, जिससे तथ्य साबित स्पष्ट हो सके कि देरी की अवधि को माफ किये जाने के पर्याप्त आधार मौजूद हों। ऐसी सूरत में वादीगण का वाद म्याद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है। लिहाजा वादीगण का वाद अवधि बाहर की मियाद में आने के कारण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली नियमानुसार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	